तालाब, जल, जंगल एवं जमीन स्थानीय सम्पत्ति घोषित की जायेगी।

5. सुरक्षा व्यवस्था : भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं को बनाये रखने के लियेय सैनिक, शस्त्र, आतंक और युद्ध की विभीषिका को अमानवीय घोषित किया जायेगा ताकि विश्व-बन्धुत्व को विकसित किया जा सके।

कर्तव्य किसी की सभ्यता-संस्कृति पर आक्रमण नहीं करता। किसी के धर्म में बाधा नहीं डालता। किसी का अधिकार नहीं छीनता। कर्तव्य अपने अर्जित अधिकारों का दुरूपयोग नहीं करता। कर्तव्य शोषण, अत्याचार, आतंक एवं अन्याय का निषेध करता है। कर्तव्य-उत्तरदायित्व ही हमें नेतृत्व की पात्रता एवं क्षमता प्रदान करते हैं।

संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धान्त

शुचिता, सहजता, सरलता, विनम्रता।
कर्मिता, धर्मिता, धैर्यता, निर्भयता।
स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सहिष्णुता, मुक्तता।

स्वतंत्रता के 60 वर्षों में देश के विकास के लिये, आर्थिक समृद्धि के लिये, किसी ऐसी कार्यप्रणाली का विकास नहीं कर सके जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, अलगाववाद, अनुशासनहीनता, कुव्यवस्था, अराजकता एवं आतंक का मुकाबला कर सकें या फिर संविधान के मूल उद्देश्य (1) न्याय (2) सहयोग (3) समानता एवं ध्द4ऋ स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित कर सकें।

"वर्तमान हमेशा ही व्यवस्था का परिणाम होता है।" अतः सम्मिलित सांझी भागीदारी द्वारा गंभीरता से विचार एवं बहस कर सर्व-सम्मति से व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास किये जाने चाहिये।

क. नीतियों की समीक्षा एवं पुरूषार्थ निर्धारण

1. मंजिल: राजनैतिक स्वतंत्रता से, आर्थिक स्वतंत्रता तक।
आर्थिक साम्राज्यवाद से, आर्थिक लोकतंत्र तक। मानवाधिकार से कर्तव्य-तंत्र तक।

2. मार्ग : 'गरीबी रेखा' की न्यूनतम आवश्यकता से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक।
उच्चतम भोग की सीमाहीन स्वतंत्रता से, अमीरी रेखा की सीमा-निर्धारण तक।

3. व्यवस्था: मूल अधिकारों की स्वच्छन्दता से, कर्त्तव्य-उत्तरदायित्वों के निर्वाह की बाध्यता तक। पार्टी, नेता, प्रतिनिधि, नौकरशाही की गुलामी से, स्वराज्य, स्वशासन और सुशासन तक।

4. परिणाम: नौकरशाही, पार्टी, उसके नामांकित नेताओं से, ग्राम्य स्वराज्य तक, बहुमत से सर्वसम्मति तक, शासन से स्वशासन तक।

ख. गल्तियों एवं भूलों की समीक्षा

1. क्या हमारे जीवन-मूल्य एवं मूल्य-बोध अक्षम हो गये हैं?
2. क्या हमारी सभ्यता या संस्कृति में कोई दोष है?
3. क्या हमारी सभ्यता, संस्कृति और गौरव का इतिहास हमारे दुर्भाग्य एवं बरबादी का कारण हैं?
4. सामाजिक व्यवस्था में कहां-कहां दोष हैं?
5. क्या हमारे संविधान, उसके उद्देश्य, व्यवस्था एवं कानूनों में कोई दोष है?
6. क्या हमारी राजनैतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था में कोई दोष है?
7. क्या हमने व्यवहारिक रूप से राजनैतिक एवं आर्थिक साम्राज्यवाद से मुक्ति पा ली है? क्या हमारी जनता ने राजनैतिक एवं आर्थिक गुलामी से मुक्ति पा ली है?
8. क्या हमारी निराशा से हम निरपेक्ष हो गये हैं? क्या हम कर्महीन एवं नपुंसक हैं?
9. क्या हम भारतवासी चुनौतियां स्वीकार करना भूल गये हैं? क्या हममें समीक्षा करने का साहस है?
10. क्या हमारी युवा पीढ़ी में संघर्ष करने की क्षमता और शक्ति नहीं है?
11. क्या हमारी व्यवस्था में युवा वर्ग को प्रेरणा (Initiative) प्रदान करने की शक्ति, सामर्थ्य, समझ चुक गयी है? क्या नारी-शक्ति, उसके श्रेय का आशीर्वाद एवं प्रेरणा चुक गयी है?

लोकतंत्र-जनतंत्र को कर्तव्यतंत्र बनायें।
डेमोक्रेसी की जगह ड्यूटीक्रेसी लायें।।

"गलती कहां पर हुई है?", इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चिन्तन, मनन एवं बहस द्वारा, व्यवस्था सुधारने या बदलने के बारे में विचार किया जाना चाहिये एवं 100 करोड़ जनता की न्यूनतम